

समस्त पत्र व्यवहार "कुलसचिव" को संबोधित किया जाये वित्तीय अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं। पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी।

दूरभाष : 2627532
तार : युनिवर्सिटी
फैक्स : 0731-529540



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर - 452 001

क्र. डी.सी.डी.सी./2018/2316
प्रेषक,

दिनांक

3.1 OCT 2018

कुलसचिव,
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,
इन्दौर.

//सूचना//

प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या,

01. शासकीय महाविद्यालय, राऊ, जिला इन्दौर
02. शासकीय महाविद्यालय, गधवानी, जिला धार
03. शासकीय महाविद्यालय, कानवन, जिला धार
04. शासकीय महाविद्यालय, विडवाल, जिला धार
05. शासकीय महाविद्यालय, उमरवन, जिला धार
06. शासकीय महाविद्यालय, पीथमपुर, जिला धार
07. शासकीय महाविद्यालय, बाग, जिला धार
08. शासकीय महाविद्यालय, मूंदी, जिला खण्डवा
09. शासकीय महाविद्यालय, पन्धाना, जिला खण्डवा
10. शासकीय महाविद्यालय, खकनार, जिला बुरहानपुर
11. शासकीय महाविद्यालय, धुलकोट, जिला बुरहानपुर
12. शासकीय महाविद्यालय, बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर
13. शासकीय महाविद्यालय, मेघनगर, जिला झाबुआ
14. शासकीय महाविद्यालय, राणापुर, जिला झाबुआ
15. शासकीय महाविद्यालय, शाबरा, जिला अलिराजपुर
16. शासकीय महाविद्यालय, सोण्डवा, जिला अलिराजपुर
17. शासकीय महाविद्यालय, पानसैमल, जिला बड़वानी
18. शासकीय महाविद्यालय, बलवाड़ी, जिला बड़वानी
19. शासकीय महाविद्यालय, पाटी, जिला बड़वानी
20. शासकीय महाविद्यालय, निवाती, जिला बड़वानी

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 938/1517/2018/38-3 दिनांक 30.10.2018 के परिपालन में यू.जी.सी. की धारा 2 (एफ) एवं धारा 12 (बी) में गैर पंजीकृत शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ प्रकरणवार परीक्षण करने हेतु बैठक शनिवार दिनांक 03.11.2018 को दोप. 12.00 बजे देवी अहिल्या दरबार सभागृह, आर.एन.टी. मार्ग पर आयोजित की गई है।

बैठक में सभी संबंधित शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य अनिवार्य रूप से उपस्थिति सुनिश्चित करें।

पृ. क्र. डी.सी.डी.सी./2018/2316

कुलसचिव

(Signature)

दिनांक

3.1 OCT 2018

प्रतिलिपि:-

1. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इन्दौर संभाग, मोती तबेला, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्राचार्य, समस्त संबंधित महाविद्यालय की ओर सूचनार्थ एवं उक्त तिथि को यू.जी.सी. की धारा 2 (एफ) एवं धारा 12 (बी) के प्रकरणों की पूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होवे।
3. कुलपति के सचिव, दे.अ.वि.वि., इन्दौर।
4. कुलसचिव के निज सहायक, दे.अ.वि.वि., इन्दौर।
5. उप-कुलसचिव (शैक्षणिक/प्रशासन) दे.अ.वि.वि. इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. वित्त अधिकारी।
7. केयर टेकर
8. विभागाध्यक्ष आई.टी. सेंटर, की ओर विश्वविद्यालय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(Signature)
डी.सी.डी.सी.